न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— श्री पर्वत सिंह चुण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—02 / 2024

तारीख दायर—02.04.2024

तारीख—निर्णय—06.12.2024

1. श्री भेरा पिता हरजी मीणा निवासी देवलिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.......अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कालु पिता भेरा मीणा निवासी देवलिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री पांचिया पिता भेरा मीणा निवासी देवलिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री सुन्दर पिता भेरा मीणा निवासी देवलिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती पारसी पत्नी भेरा मीणा निवासी देवलिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. ग्राम पंचायत देवलिया जरिये सरपंच साहब
6. ग्राम पंचायत ओवरा जरिये सरपंच साहब
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........रेसपोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड एण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजगी निर्णय ग्राम पंचायत देवलीया नामान्तरण संख्या 1589 दिनांक 17.11.2021

उपस्थित— अपीलान्ट की ओर से— अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

रेस्पोडेन्टगण ओर से—अनुपस्थित

—: :निर्णय : :—

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय विद्वान अधीनस्थ ग्राम पंचायत व पटवार हल्का का निर्णय न्याय एवं कानुन के विपरीत है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त बिना जांच किये नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मौजा देवलीया में स्थित है, जो जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 454 व पुराना 456 में वर्णित आराजीयात 302 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, 365 रकबा 0.3996 हैक्टेयर, 366 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, 367 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, 369 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, 371 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, 387 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, 389 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, 390 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, 391 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, 392 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, 393 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, 394 रकबा 0.2916 हैक्टेयर, 395 रकबा 0.8640 हैक्टेयर, 396 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, 397 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, 398 रकबा 0.2376 हैक्टेयर, 730 रकबा 0.4536 हैक्टेयर कुल किता 19 कुल रकबा 4.2336 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात अपीलाण्ट की मौरूसी सम्पति है। जों हरजी पिता नारीया से प्राप्त हुई है। वर्तमान में अपीलाण्ट जिवित है। ग्राम देवलीया में अपीलाण्ट व रेसपोडेन्ट के पिता का नाम हरजी दोनो के समान था जबकी अपीलाण्ट के दादाजी का नाम नारीया था व रेसपोडेन्ट के दादाजी का नाम अणदा था जबकी अपीलाण्ट खाता संख्या 454 में वर्णीत आराजियात का कब्जा व काश्त करते आ रहें है। अपीलाण्ट के गांव में भेरा पिता हरजी की मृत्यु होने पर नामान्तरण खोलते समय ग्राम पंचायत देवलीया व पटवार हल्का देवलीया द्वारा बिना जांच किये ही अपीलाण्ट के आराजीयात में

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

नामान्तरण खोल दिया जबकी अपिलाण्ट वर्तमान में जिवित है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट दोनो के पिता का नाम समान होने से ग्राम पंचायत ओवरा व ग्राम पंचायत देवलीया ने मिलकर गलत नामान्तरण खोल दिया जबकी अपील की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजियात की भूमि में अपीलाण्ट अपने हिस्से की भूमि पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा नही रहा है। केवल अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम समान होने से अपीलाण्ट के नाम दर्ज भूमि विरासत से रेस्पोडेन्टगण के नाम पर दर्ज हो गई है। इसलिये अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्ण निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन मय नकल अपील के तलब किये गये। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहै। तत्पश्चात अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन किये जो अपील में वर्णीत है। उक्त अपील में तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल देवलिया के राजस्व ग्राम देवलिया के खाता संख्या 454 में नामान्तरकरण संख्या 1589 से विरासत का नामान्तरकरण भेरा पिता हरजी दर्ज कर दिया गया । खातेदार भेरा पिता हरजी खाता संख्या 454 के आराजी नम्बर 302 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, 365 रकबा 0.3996 हैक्टेयर, 366 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, 367 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, 369 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, 371 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, 387 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, 389 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, 390 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, 391 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, 392 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, 393 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, 394 रकबा 0.2916 हैक्टेयर, 395 रकबा 0.8640 हैक्टेयर, 396 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, 397 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, 398 रकबा 0.2376 हैक्टेयर, 730 रकबा 0.4536 हैक्टेयर कुल किता 19 कुल रकबा 4.2336 हैक्टेयर भूमि पर शान्तिपूर्ण काश्त कर रहा है। एवं वर्तमान में जिवित है। जिस काश्तकार की मृत्यु हुई तब उसके वारिसान द्वारा विरासत नामा. दर्ज करवाया गया चुकि एक ही ग्राम में काश्तकार का नाम एवं पिता का नाम समान (भेरा पिता हरजी) होने से विरासत नामान्तरकरण संख्या 90,112,193 एवं 407 पर दर्ज होने चाहिये थे जो कि उक्त खाते मृतक के थे लेकिन समान नाम होने से एक अन्य खाता संख्या 454 जो वर्तमान में जीवित भेरा पुत्र हरजी का था जिसमें इन्द्राज हो गया। तहसीलदार लसाडिया की जांच रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट साबित पाये जाने से स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत देवलीया द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1589 दिनांक 17.11.2021 को निरस्त किया जाता है एवं मौजा देवलीया तहसील लसाडिया की जमाबन्दी संवत् संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 454 व पुराना 456 में वर्णित आराजीयात 302 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, 365 रकबा 0.3996 हैक्टेयर, 366 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, 367 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, 369 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, 371 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, 387 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, 389 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, 390 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, 391 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, 392 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, 393 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, 394 रकबा 0.2916 हैक्टेयर, 395 रकबा 0.8640 हैक्टेयर, 396 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, 397 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, 398 रकबा 0.2376 हैक्टेयर, 730 रकबा 0.4536 हैक्टेयर कुल किता 19 कुल रकबा 4.2336 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज भूमि को अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

जाने का आदेश दिया जाता है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेंरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वतसिह चुण्डावतRAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

Scanned with CamScanner